By E mail

क्रमांकः 7654 /स्था0,	दिनांक : 22 जुलाई, 2019

प्रेषकः
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
जयपुर जिला, जयपुर

प्रेषितिः
अध्यक्ष,
अनुपयोगी फर्नीचर निस्तारण समिति,
(अति0 जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम–02)
जिला न्यायालय, जयपुर जिला

विषयः अनुपयोगी फर्नीचर के निस्तारण के सम्बन्ध में।
––00––

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न न्यायक्षेत्रों के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान् न्यायालय कक्ष, कार्यालय कक्षों आदि में रखे टूटे हुये फर्नीचर, पुराने टाईप राईटर्स एवं कम्प्युटर्स, अनुपयोगी किताबे व स्टेशनरी आर्टिकल्स, जो अनावश्यक रूप से न्यायालय व कार्यालय कक्षों में काफी जगह घेर रहे है, को भी गंभीरता से लिया गया है।

अतः उक्त क्रम में आपको निर्देश दिये जाते है कि आप जयपुर जिला न्यायक्षेत्र के समस्त न्यायालय/कार्यालय कक्षों में रखे हुये पुराने अनुपयोगी फर्नीचर, पुराने टाईप राईटर्स एवं कम्प्युटर्स, अनुपयोगी किताबें व स्टेशनरी आर्टिकल्स, जिनको रिपेयर नहीं करवाया जा सकता हो, की सूची जिला न्यायालय की भण्डार शाखा व विभिन्न न्यायालयों से प्राप्त कर, उसके निस्तारण के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर, इस कार्यालय को सूचित करें।

उक्त निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित की जावें।

भ व दी य

जिला एवं सेशन न्ययाधीश
जयपुर जिला, जयपुर

क्रमांकः 7655 /स्था0,	दिनांक : 22 जुलाई, 2019

प्रतिलिपि समस्त अधीनस्थ न्यायालय, जयपुर जिला, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

जिला एवं सेशन न्ययाधीश
जयपुर जिला, जयपुर